

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 34]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 21 अगस्त 2020—श्रावण 30, शक 1942

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 25 जून 2020

क्रमांक ई 1-09/2019/एक-2.—राज्य शासन एतद्वारा वर्ष 2019 बैच के निम्नलिखित परीवीक्षाधीन भा.प्र.से. अधिकारियों की निम्नानुसार नवीन पदस्थापना की जाती है :—

क्र.	अधिकारी का नाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	श्री ललितादित्य नीलम	सहायक कलेक्टर, जिला-राजनांदगांव	सहायक कलेक्टर, जिला-बिलासपुर

(1)	(2)	(3)	(4)
2.	सुश्री नम्रता जैन	सहायक कलेक्टर, जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा.	सहायक कलेक्टर, जिला-रायपुर
3.	सुश्री रेना जमील	सहायक कलेक्टर, जिला-कांकेर	सहायक कलेक्टर, जिला-बस्तर
4.	श्री विश्वदीप	सहायक कलेक्टर, जिला-कोरिया	सहायक कलेक्टर, जिला-सरगुजा

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कमलप्रीत सिंह, सचिव.

जनसंपर्क विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 13 अगस्त 2020

क्रमांक 521/413/जनसम्पर्क/2020/चौबीस. — राज्य शासन एतद्वारा विज्ञापन संबंधी नियमावली-2019 की कण्डिका-31 के अन्तर्गत न्यूज वेबसाइट/वेबपोर्टल संबंधी प्रावधान में निम्नानुसार संशोधन करता है :—

डिजिटल माध्यम की उपयोगिता एवं आवश्यकता के परिप्रेक्ष्य में राज्य के भीतर/राज्य के बाहर से संचालित न्यूज वेबसाइट/वेबपोर्टल के लिए प्रदर्शन विज्ञापन आवश्यकता/उपयोगिता/अवसर और बजट उपलब्धता के आधार पर स्वीकृत किये जाएंगे. इन नियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी किसी न्यूज वेबसाइट को शासकीय विज्ञापन प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं होगा. विज्ञापन देते समय निम्न मापदंडों को अपनाया जायेगा :—

- (1) डीएचपी में सूचीबद्ध/पंजीकृत/इन्पैनलड पोर्टल/वेबसाइट को डीएचपी द्वारा निर्धारित दर/गाइडलाइन/नियमों के अनुसार विज्ञापन दिया जायेगा.
- (2) ऐसे वेबसाइट/पोर्टल जिनका डीएचपी में पंजीयन नहीं है उनको जनसंपर्क विभाग द्वारा इन्पैनल किया जायेगा.
- (3) कंडिका 02 में उल्लेखित पोर्टल/वेबसाइट के इन्पैनलमेंट हेतु संचालनालय स्तर पर आयुक्त/संचालक द्वारा अपर संचालक/संयुक्त संचालक (विज्ञापन) की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जायेगी. इस समिति की अनुशंसा पर आयुक्त/संचालक द्वारा इम्पैनलमेंट की कार्यवाही की जायेगी. इम्पैनलमेंट की अवधि एक वर्ष की होगी, जिसके नियमित अंतराल पर पुनः समीक्षा का अधिकार समिति को होगा. समीक्षा में उचित न पाए जाने पर संबंधित पोर्टल/वेबसाइट का इम्पैनलमेंट समाप्त करने का अधिकार भी समिति को होगा. सामान्यतः निम्नलिखित शर्तें पूर्ण करने वाले पोर्टल/वेबसाइट के समिति द्वारा इम्पैनलमेंट हेतु अनुशंसा की जायेगी—
 - (i) छत्तीसगढ़ राज्य के न्यूज वेबसाइटों को इन्पैनलड किया जाये. इन्पैनलमेंट 01 वर्ष की अवधि के लिए होगा.
 - (ii) इम्पैनलमेंट हेतु विगत 06 माह के दौरान न्यूज वेबसाइट की औसत यूनिक यूजर संख्या 50 हजार होनी चाहिए. इस दौरान एवरेज सेशन ड्यूरेशन न्यूनतम 30 सेकेण्ड होना चाहिए.
 - (iii) प्रत्येक वेबसाइट/पोर्टल के अपने होम पेज पर वेबसाइट/पोर्टल के स्वामी, संचालक, संपादक का नाम मोबाइल नंबर, ई मेल, संपादकीय कार्यालय का पता प्रदर्शित होना चाहिए. उन्हें प्रतिदिन अपनी वेबसाइट्स/पोर्टल को अपडेट भी करना होगा.
 - (iv) न्यूज वेबसाइट कम से कम एक वर्ष से ऑन लाइन हो. इस अवधि के दौरान वेबसाइट का नाम और इंटरनेट का पता (URL) नहीं बदला गया हो.
 - (v) राज्य की गतिविधियों को प्राथमिकता से अपलोड करने वाले वेबसाइट/वेबपोर्टल को विज्ञापन देने में प्राथमिकता दी जायेगी.

- (4) पत्रकारिता के स्थापित मूल्यों के विरुद्ध समाचार प्रकाशित करने वाले अश्लील/झूठे/मनगढ़त किसी संस्था या व्यक्ति को झूठे आधार पर बदनाम करने वाले समाचारों को प्रकाशित करने वाले पोर्टल/वेबसाइट को समिति की अनुशंसा पर इम्पैनलमेंट सूची से बाहर किया जा सकेगा. इसके साथ-साथ समिति उपलब्ध तकनीकी साधनों यथा-विश्वसनीय टैरिफ एनालिसिस टूल अथवा अन्य किसी माध्यम से मासिक दृश्य संख्या यूजर संबंधी रिपोर्ट की पुष्टि कर सकेगी. इसके लिए आवश्यकता पड़ने पर तकनीकी मानव संसाधन की सहायता ली जायेगी. संचालनालय स्तर पर एक आवेदन पर एक बारगी अधिकतम पचास हजार रुपये तक के प्रदर्शन विज्ञापन दिए जा सकेंगे.
- (5) इम्पैनलमेंट सूची के बाहर भी वेबसाइट/पोर्टल को विज्ञापन देने की पूर्ण शक्तियां प्रशासकीय विभाग को होगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उमेश कुमार मिश्रा, संयुक्त सचिव.

बीस सूत्रीय कार्यक्रम, क्रियान्वयन विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 21 जुलाई 2020

क्रमांक एफ 5-1/2007/43.—राज्य शासन एतद्वारा सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश दि. 19-07-2020 में बीस सूत्रीय कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु गठित राज्य स्तरीय समीक्षा समिति में श्री अजय अग्रवाल को बीस सूत्रीय कार्यक्रम एवं क्रियान्वयन, उपाध्यक्ष नियुक्त किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गौरव द्विवेदी, प्रमुख सचिव.

गृह (पुलिस) विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 16 जुलाई 2020

क्रमांक एफ 1-09/2019/दो-गृह/भापुसे (पार्ट-4).—राज्य शासन, एतद्वारा, छत्तीसगढ़ संवर्ग के निम्नांकित परिवीक्षाधीन भारतीय पुलिस सेवा अधिकारियों को पुलिस अकादमी, हैदराबाद द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण कार्यक्रम के अनुसार व्यावहारिक प्रशिक्षण हेतु उनके नाम के सम्मुख कालम 3 में दर्शित जिले में दिनांक 20-07-2020 से आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ करता है :—

क्र. (1)	अधिकारी का नाम (2)	व्यावहारिक प्रशिक्षण हेतु जिले का नाम (3)
1.	श्री गौरव रामप्रवेश राय, भापुसे परिवीक्षाधीन	बिलासपुर
2.	श्री जितेन्द्र कुमार यादव, भापुसे परिवीक्षाधीन	बलौदाबाजार
3.	श्री पुष्कर शर्मा, भापुसे परिवीक्षाधीन	रायगढ़
4.	सुश्री रतना सिंह, भापुसे परिवीक्षाधीन	रायपुर
5.	श्री योगेश कुमार पटेल, भापुसे परिवीक्षाधीन	राजनांदगांव

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज श्रीवास्तव, अवर सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला-राजनांदगांव (छत्तीसगढ़), एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन,
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 22 जुलाई 2020

क्रमांक/4862/03/अ-82/भू-अर्जन/2020.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जावेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	अं. चौकी	विचारपुर प.ह.नं. 04	0.708	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन बैराज संभाग, डोंगरगांव.	मोंगरा परियोजना के अंतर्गत डुबान निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मोहला के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 22 जुलाई 2020

क्रमांक/4863/10/अ-82/भू-अर्जन/2020.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जावेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	अं. चौकी	मिरचे प.ह.नं. 04	0.486	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन बैराज संभाग, डोंगरगांव.	मोंगरा परियोजना के अंतर्गत डुबान निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मोहला के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 22 जुलाई 2020

क्रमांक/4864/18/अ-82/भू-अर्जन/2020.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जावेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	अं. चौकी	पोसवार प.ह.नं. 10	0.853	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन बैराज संभाग, डोंगरगांव.	मोंगरा परियोजना के अंतर्गत डुबान निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मोहला के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 22 जुलाई 2020

क्रमांक/4865/19/अ-82/भू-अर्जन/2020.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जावेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	अं. चौकी	टाटेकसा प.ह.नं. 03	0.316	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग, राजनांदगांव.	उच्च स्तरीय पुल निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मोहला के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 22 जुलाई 2020

क्रमांक/4866/20/अ-82/भू-अर्जन/2020.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जावेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	अं. चौकी	केसालडबरी प.ह.नं. 04	0.325	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग, राजनांदगांव.	उच्च स्तरीय पुल निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मोहला के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
टी. के. वर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं
पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं
आपदा प्रबंधन विभाग

खसरा नम्बर
(1)
रकबा
(हेक्टेयर में)
(2)

कोरबा, दिनांक 17 जून 2020

क्रमांक/9339/भू-अर्जन/2020.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला-कोरबा

(ख) तहसील-पोंड़ी उपरोड़ा

(ग) नगर/ग्राम-लखनपुर

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.129 हेक्टेयर

477	0.069
476/1	0.069
359/2	
473	0.097
359/1	
360	0.117
358	0.032
398	
399/1	0.133
400, 403	0.141
387/1क	
388/1	0.181
401	
405	
407/1	0.048
463/1	
464/1	0.048
370	0.008
399/2	

(1)	(2)
407/2	0.073
408/1	
399/5	
407/5	0.044
408/4	
399/6	
407/6	0.069
408/5	
योग	14 1.129

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कटघोरा व्यपवर्तन योजनान्तर्गत शाखा नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा), पोंड़ी उपरोड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 19 जून 2020

क्रमांक/9449/भू-अर्जन/2020.—चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला-कोरबा
- (ख) तहसील-पोंड़ी उपरोड़ा
- (ग) नगर/ग्राम-जुराली
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.606 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
16/1च	1.606
योग	1 1.606

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कटघोरा व्यपवर्तन योजनान्तर्गत शीर्ष कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा), पोंड़ी उपरोड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 24 जुलाई 2020

क्रमांक/11126/भू-अर्जन/03 अ 82/2017-18.—चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला-कोरबा
- (ख) तहसील-करतला
- (ग) नगर/ग्राम-खरहरकुड़ा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.057 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
79/5	0.057
योग	1 0.057

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मिनीमाता (हसदेव) बांगो परियोजना अंतर्गत खरहरकुड़ा माईनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोरबा के कार्यालय में किया जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 31 जुलाई 2020

क्रमांक/11409/भू-अर्जन/17 अ 82/2017-18.—चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची		(1)	(2)
(1) भूमि का वर्णन-		435/1	0.09
(क) जिला-कोरबा		434/2	0.07
(ख) तहसील-करतला		433/3, 434/3	0.22
(ग) नगर/ग्राम-खुटाकुड़ा		432/3	0.08
(घ) लगभग क्षेत्रफल-6.79 एकड़		429/2	0.08
		431/1ख	0.18
खसरा नम्बर	रकबा	413	0.07
	(एकड़ में)	411/1	0.05
(1)	(2)	410	0.09
		408	0.10
1/1क	0.10	402/1	0.05
4/2	0.09	404/2	0.10
1/2, 5/2, 6/2, 7/1	0.04	403	0.12
2/2	0.12		
279/2	0.07	योग	6.79
3/4, 37, 38	0.10		
8	0.03	(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बोराईनाला	
9	0.26	व्यपवर्तन योजना के नहर निर्माण हेतु.	
10/1	0.02	(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी	
13/2, 14, 292, 295/2, 296/2	0.01	(राजस्व), कोरबा के कार्यालय में किया जा सकता है.	
196/1	0.11		
10/2	0.23		
20, 21, 22/3	0.09		
10/3	0.30		
250/2ख	0.36		
254/2ख	0.11		
12, 16/1	0.10		
17/2, 190/2	0.36		
17/1, 190/1	0.27		
188/1	0.04		
188/2	0.03		
250/1	0.12		
189/2	0.09		
276/1	0.07		
278	0.04		
250/6	0.34		
254/3	0.44		
251/2, 252/1	0.06		
459, 460, 461	0.20		
462	0.11		
196/2	0.11		
463/3	0.37		
458/3	0.30		
407/1	0.06		
398, 399	0.12		
406/1	0.07		
439	0.15		

कोरबा, दिनांक 10 अगस्त 2020

क्रमांक/11650/भू-अर्जन/2020.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

- (क) जिला-कोरबा
- (ख) तहसील-पोंडी उपरोड़ा
- (ग) नगर/ग्राम-जल्के
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.354 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा
(1)	(2)
495	0.045

(1)	(2)	अनुसूची
768/3	0.114	(1) भूमि का वर्णन-
1032/2	0.114	(क) जिला-कोरबा
488	0.081	(ख) तहसील-पोड़ी उपरोड़ा
		(ग) नगर/ग्राम-कोरबी
		(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.065 हेक्टेयर
योग	4	0.354
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कोरबी-जल्के मार्ग (सरमा-जल्के पहुंच मार्ग) के निर्माण हेतु.		
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), पोड़ी उपरोड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.		
कोरबा, दिनांक 10 अगस्त 2020	योग	खसरा नम्बर रकबा (1) (2) 200/1क 0.065 1 0.065
क्रमांक/11653/भू-अर्जन/2020.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-चोटिया से चिरमिरी मार्ग में सड़क निर्माण हेतु. (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), पोड़ी उपरोड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है. छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, किरण कौशल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.		

विभाग प्रमुखों के आदेश

बिलासपुर संभाग, बिलासपुर

OFFICE OF THE COMMISSIONER, BILASPUR DIVISION, BILASPUR (CHHATTISGARH)

बिलासपुर, दिनांक 1 जून 2020

CERTIFICATE TO TRANSFER OF CHARGE C.G.F.C.-3 (See Rule 80)

क्रमांक/976/स्थापना/2020.—Certified that we have in the forenoon/afternoon of the Memo of the balances for which responsibility is accepted by the officer receiving charge of the office of the Commissioner, Bilaspur Division, Bilaspur (Chhattisgarh) in pursuance of CG GAD order No. E-1-02/2020/एक-2 Raipur dated 26-05-2020 receiving charge travelled during joining time on 01st June, 2020 (mention dated).

हस्ता./-
उपायुक्त.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 22nd May 2020

No. 54 (Mis.)/I-7-3/2020.—In view of GAD notification Endt. No. f 1-1/2019/1/5 dated 22-05-2020, in partial modification of Calendar of High Court of Chhattisgarh & Courts Subordinate to this High Court, 23-05-2020 (Saturday) is declared as holiday for the High Court Registry and Courts Subordinate to this High Court.

Bilaspur, the 10th July 2020

No. 6131/Checker/III-6-2/2007 (Pt.-I).—In exercise of the powers Conferred under clause (c) of sub-section (1) of Section 260 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974), the High Court of Chhattisgarh here-by specially empowers the following Judicial Magistrate First Class to try in a summary way all or any of the offences specified in the said Section :—

Sl. No.	Name of the Judicial Magistrate First Class	Present Place of posting	Civil District
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Ku. Satpreet Kour Chhabra, J.M.F.C., Bilaspur	Bilaspur	Bilaspur
2.	Ku. Shweta Patel, J.M.F.C., Bilaspur	Bilaspur	Bilaspur
3.	Shri Dwijendra Nath Thakur, J.M.F.C., Bilaspur	Bilaspur	Bilaspur
4.	Shri Prateek Tembhurkar, J.M.F.C., Bilaspur	Bilaspur	Bilaspur
5.	Shri Kranti Kumar Singh, J.M.F.C., Bilaspur	Bilaspur	Bilaspur
6.	Shri Aashish Dahariya, J.M.F.C., Kota	Kota	Bilaspur
7.	Shri Ravi Kumar Kashyap, J.M.F.C., Bilha	Bilha	Bilaspur

By Order of Hon'ble the High Court,
NEELAM CHAND SANKHLA, Registrar General.